



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. गवालियर

प्र.क.

/2018 पुनरीक्षण III निगरानी | सीधी शूरा/2018/0839

श्री ३५२/२१८
द्वारा आज दि. १-२-१८
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्फ सेवा
दिनांक २०-१-८ नियत।

वल्क ऑफ कोर्ट २-१-८
राजस्व मण्डल, म.प्र. गवालियर

श्यामबिहारी शुक्ल पुत्र इन्द्रकमल शुक्ला
निवासी ग्राम गजरही तहसील बहरी
जिला सीधी (म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, सीधी

..... अनावेदक

सुनिश्चित
०१-२-२०१८ उठवेक्ष
विवालियर


न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा श्रंखला न्यायालय
सीधी जिला-सीधी (म.प्र.) द्वारा प्र.क. 348 /अपील /17-18 में
पारित आदेश दिनांक 15.12.2017 के विरुद्ध म.प्र. मू. राजस्व
संहिता 1959 की धारा -50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/दो/सीधी/भूरा/2018/839

श्यामबिहारी बनाम शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-06- 2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित हुए। अनावेदन शासन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रखर ढेंगुला उपस्थित। उभय पक्ष के प्रकरण में अंतिम तर्क सुने गये। मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। आवेदक का मुख्य तर्क है कि उनके द्वारा भूमि व्यपवर्तन की अनुज्ञा का आवेदन दिनांक 4-1-17 को प्रस्तुत किया था जबकि ललितपुर सिंगरौली लाईन के अंतर्गत आवेदित भूमियों के धारा 11 के प्रकाशन का प्रस्ताव दिनांक 3-12-16 को आधार मानकर भूमि व्यपवर्तन का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी है उनके द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि भूमियों के अधिग्रहण किया जाने के संबंध में मात्र प्रस्ताव ही जारी हुआ था जिसकी सूचना आवेदक को नहीं थी अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त किया जावे। अनावेदक शासन के अधीवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि वर्तमान समय में ललितपुर सिंगरौली न्यू रेलवेलाईन में प्रभावित भूमि का उपयोग होने की अधिसूचना के प्रकाशन का प्रस्ताव दिनांक 3-12-16 को प्राप्त हो चुका था रेलवे लाईन निर्माण का कार्य लोकहित में होने से अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप भूमि व्यपवर्तन का आदेश दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं होने से निगरानी निरस्ती योग्य है।</p> <p>उक्त प्रस्तुत तर्कों के परिपेक्ष्य में मैं पाता हूं कि रेलवेलाईन के अधिसूचना के प्रकाशन का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत भूमि व्यपवर्तन का आदेश दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। नोटिफिकेशन के प्रकाशन में भूमि जिस स्वरूप की दर्ज है उसे उसी स्वरूप में लिया जा सकता है, उसके उपरांत भूमि के स्वरूप को व्यपवतित किया जाना निरर्थक है, अतः प्रस्तुत निगरानी औचित्यहीन होने से निरस्त की जाती है। उभय पक्ष सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापस किये जावें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हों।</p>	 सदस्य ५/६/१८